



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940

No. 59]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सं. 03/2019-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 61(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

(i) क्रम संख्या 495 के समक्ष,

(क) कॉलम (2) में “कोई भी अध्याय” शब्दों के स्थान पर अंक “8507” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (4) में, शब्द “शून्य”, के स्थान पर अंक “5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) क्रम संख्या 512 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“(क) निम्नलिखित को छोड़कर, पुर्जे, घटक और सहायक उपकरण:—

(i). लीथियम आयन सेल (जो कि टैरिफ मद 8507 60 00 के अंतर्गत आता है); और

(ii). प्रिटिड सर्किट बोर्ड एसंबली (PCBA) (जो कि टैरिफ मद 8507 90 90 के अंतर्गत आता है),

मोबाइल हैंड सैट जिसमें सैलुलर फोन भी आते हैं जो कि टैरिफ मद 8507 60 00 के अंतर्गत आता है, की बैट्रियों से भिन्न लीथियम आयन बैट्रियों के विनिर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले;

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित मदों के विनिर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले उप पुर्जे”।

(iii) क्रम संख्या 523 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“523 क	कोई भी अध्याय	लीथियम आयन सेल्स जो कि टैरिफ मद 8507 60 00 के अंतर्गत आते हैं, के विनिर्माण में प्रयोग में आने वाले पुर्जे, उप पुर्जे, इनपुट्स या कच्चा माल।	शून्य	-	9”;

(iv) क्रम संख्या 524 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द, “मोटर वाहन”, के पश्चात, कोष्ठक और शब्द “(विद्युत चालित वाहनों को छोड़कर)” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 525 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“525	8702 या 8704	विद्युत चालित वाहन यदि आयातित हों, - (1) नाकड डाउन किट की तरह जिसमें सभी आवश्यक घटक, कल और पुर्जे या सब-एसेंबलीस शामिल हैं, निम्नलिखित को जोड़कर एक पूर्ण वाहन तैयार करने के लिए, - (a) डिसएसेंबलड बैट्री पैक, मोटर, मोटर कंट्रोलर, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनीटर कंट्रोलर, ब्रेक सिस्टम, इलैक्ट्रिक कंप्रेसर जो कि चैसिस पर न लगा हो; (b) प्रि-एसेंबलड बैट्री पैक, मोटर, मोटर कंट्रोलर, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनीटर कंट्रोलर, ब्रेक सिस्टम, इलैक्ट्रिक कंप्रेसर जो कि चैसिस या बाडी एसेंबली पर न लगा हो; (2) उपर्युक्त (1) से भिन्न अन्य रूप में।	10% 15% 25%	- - -	- - -”;

(vi) क्रम संख्या 526 के समक्ष, कॉलम (3) में, “मोटर वाहन या अन्य मोटर वाहनों”, शब्दों के पश्चात, कोष्ठक और शब्द “(विद्युत चालित वाहनों को छोड़कर)” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 526 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“526 क	8703	विद्युत चालित मोटर कार या अन्य मोटर वाहन मुख्य रूप से जो व्यक्तियों को लाने-ले जाने के लिए तैयार किए गए हों (उनसे भिन्न जो शीर्ष 8702 के अंतर्गत आते हैं), जिनमें स्टेशन वैगन और रेसिंग कार भी आती हैं, यदि ये आयातित हों,— (1) नाकड डाउन किट की तरह जिसमें सभी आवश्यक घटक कल और पुर्जे या सब-एसेंबलीस शामिल हैं, निम्नलिखित को जोड़कर एक पूर्ण वाहन तैयार करने के लिए,— (क) डिसएसेंबलड बैट्री पैक, मोटर, मोटर कंट्रोलर, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनीटर कंट्रोलर, ब्रेक सिस्टम, इलैक्ट्रिक कंप्रेसर जो कि चैसिस पर न लगा हो;	10%	-	-

		(ख) त्रि-एसेंबलड बैट्री पैक, मोटर, मोटर कंट्रोलर, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनीटर कंट्रिक्टर, ब्रेक सिस्टम, इलैक्ट्रिक कंप्रेसर जो कि चैसिस या बाडी एसेंबली पर न लगा हो;	15%	-	-
		(2) किसी अन्य रूप में,—			
		(क) जिसका सीआईएफ मूल्य 40,000 अमेरिकी डालर से अधिक हो	100%	-	-
		(ख) उपयुक्त (क) से भिन्न	60%	-	-";

(viii) क्रम संख्या 527 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"527	8507 60 00	निम्न से भिन्न लीथियम आयन एक्युमूलेटर के विनिर्माण में प्रयोग में आने वाले लीथियम आयन सेल, यथा :— (क) सेलुलर मोबाइल फोन के बैट्री पैक; और (ख) पावर बैंक	5%	-	9";

(ix) क्रम संख्या 528 के समक्ष, कॉलम (3) में,

- (क) मद संख्या (i) के समक्ष की प्रविष्टि को निरसित कर दिया जाएगा;
(ख) मद (iv), के पश्चात निम्नलिखित मदों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—
“ (v) पावर कंट्रोल यूनिट (इनवर्टर, एसी/डीसी कनवर्टर, कनडेसर);
(vi) एनर्जी मॉनीटर;
(vii) कॉन्टेक्टर;
(viii) ब्रेक सिस्टम, रिकवरी के लिए;
(ix) इलैक्ट्रिक कंप्रेसर”,

(x) क्रम संख्या 528 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"528 क	8507	विद्युत चालित वाहनों या हाईब्रिड वाहनों के विनिर्माण में प्रयोग आने वाले बैट्री पैक	5%	-	9";

(xi) क्रम संख्या 529 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद संख्या (i) के समक्ष की प्रविष्टि को निरसित कर दिया जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 531 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "सहायक मोटर", शब्दों के पश्चात, कोष्ठक और शब्द "(विद्युत चालित मोटर साइकिलों और साइकिलों को छोड़कर)" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xiii) क्रम संख्या 531 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"531 क	8711	विद्युत चालित मोटर साइकिलें (जिनमें मोपेड भी आती हैं और साइकिलें जिनमें सहायक मोटर लगी हो, जिनमें साइड कार हो या नहीं और साइड कार, यदि आयातित हों, -			

	(1) नाकड डाउन किट की तरह जिसमें सभी आवश्यक घटक कल और पुर्जे या सब-एसेंबलीस शामिल हैं, निम्नलिखित को जोड़कर एक पूर्ण वाहन तैयार करने के लिए, -			
	(क) डिसएसेंबलड बैट्री पैक, मोटर, मोटर कंट्रोलर, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनीटर कॉन्ट्रोलर, ब्रेक सिस्टम, इलैक्ट्रिक कंफ्रैसर जो कि चैसिस पर न लगा हो;	10%	-	-
	(ख) प्रि-एसेंबलड बैट्री पैक, मोटर, मोटर कंट्रोलर, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनीटर कॉन्ट्रोलर, ब्रेक सिस्टम, इलैक्ट्रिक कंफ्रैसर जो कि चैसिस या बाडी एसेंबली पर न लगा हो;	15%	-	-
	(2) उपर्युक्त (1) से भिन्न अन्य रूप में।	50%	-	-

2. तीसरे परन्तुक में, शब्द और अंक "31 जनवरी 2019", के स्थान पर शब्द और अंक "2 मार्च 2019" को प्रतिस्थापित किया जायेगा ;

3. यह अधिसूचना 30 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/47/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

टिप्पण : प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 80/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 15 दिसम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1212(अ) दिनांक 15 दिसम्बर, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

No. 03/2019—Customs

G.S.R. 61(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table,

- (i) against S. No. 495,
 - (a) in column (2), for the words "Any Chapter", the figures "8507" shall be substituted;
 - (b) in column (4), for the words "Nil", the figures "5%" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 512, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

“(a) Parts, components and accessories except:—

- (i) Lithium ion cell (falling under tariff item 8507 60 00) and;
(ii) Printed Circuit Board Assembly (PCBA) (falling under tariff item 8507 90 90)

for use in manufacture of lithium-ion batteries other than batteries of mobile handsets including cellular phones falling under tariff item 8507 60 00;

(b) Sub-parts for use in manufacture of items mentioned at (a) above.”;

- (iii) after S. No. 523 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“523 A.	Any Chapter	Parts, sub-parts, inputs or raw material for use in manufacture of Lithium ion cells falling under tariff item 8507 60 00	Nil	-	9”;

- (iv) against S. No. 524, in column (3), after the words, “Motor vehicles”, the brackets and words “(excluding electrically operated vehicles)” shall be inserted;

- (v) for S. No. 525 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“525.	8702 or 8704	Electrically operated vehicles, if imported, - (1) As a Knocked Down kit containing all the necessary components, parts or subassemblies, for assembling a complete vehicle with,— (a) disassembled Battery Pack, Motor, Motor Controller, Charger, Power Control Unit, Energy Monitor Contractor, Brake system, Electric Compressor not mounted on chassis; (b) pre-assembled Battery Pack, Motor, Motor Controller, Charger, Power Control Unit, Energy Monitor Contractor, Brake System, Electric Compressor not mounted on a chassis or a body assembly (2) in a form other than (1) above	10% 15% 25%	- - -	- - -”;

- (vi) against S. No. 526, in column (3), after the words, “Motor vehicles and other motor vehicles”, the brackets and words “(excluding electrically operated vehicles)” shall be inserted;

- (vii) after S. No. 526 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“526 A.	8703	Electrically operated Motor cars and other motor vehicles, principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars, if imported,— (1) As a Knocked Down kit containing all the necessary components, parts or sub-assemblies, for assembling a complete vehicle, with,—			

		(a) disassembled Battery Pack, Motor, Motor Controller, Charger, Power Control Unit, Energy Monitor Contractor, Brake system, Electric Compressor not mounted on chassis;	10%	-	-
		(b) pre-assembled Battery Pack, Motor, Motor Controller, Charger, Power Control Unit, Energy Monitor Contractor, Brake System, Electric compressor not mounted on a chassis or a body assembly.	15%	-	-
		(2) In any other form,—			
		(a) with CIF value more than US\$ 40,000	100%	-	-
		(b) other than (a) above	60%	-	-”;

(viii) for S. No. 527 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“527.	8507 60 00	Lithium ion cell for use in manufacture of Lithium ion accumulator other than the following, namely:— (a) Battery pack of cellular mobile phone; and (b) Power bank.	5%	-	9”;

(ix) against S. No. 528, in column (3),

- (a) the entry against item No. (i) shall be omitted;
- (b) after item (iv), the following items shall be inserted, namely:—
“(v) Power Control unit (inverter, AC/DC converter, condenser);
(vi) Energy monitor;
(vii) Contactor;
(viii) Brake system for recovering;
(ix) Electric Compressor”;

(x) after S. No. 528 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“528 A.	8507	Battery pack for use in the manufacture of electrically operated vehicle or hybrid vehicle	5%	-	9”;

(xi) against S. No. 529, in column (3), the entry against item No. (i) shall be omitted;

(xii) against S. No. 531, in column (3), after the words, “an auxiliary motor,”, the brackets and words, “(excluding electrically operated motor cycles and cycles)” shall be inserted;

(xiii) after serial number 531 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“531 A.	8711	Electrically operated motor cycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side cars, and side cars, if imported,— (1) As a knocked down kit containing all the necessary components, parts or sub-assemblies, for assembling a complete vehicle, with,— (a) disassembled Battery Pack, Motor, Motor Controller, Charger, Power Control Unit, Energy Monitor Contractor, Brake system, Electric Compressor not mounted on chassis; (b) pre-assembled Battery Pack, Motor, Motor Controller, Charger, Power Control Unit, Energy Monitor Contractor, Brake System, Electric compressor not mounted on a chassis or a body assembly (2) in a form other than (1) above	10% 15% 50%	- -	- -”.

2. In the third proviso, for the words and figures “31st day of January, 2019”, the words and figures “2nd day of March, 2019” shall be substituted;

3. This notification shall come into effect from the 30th day of January, 2019.

[F. No. 354/47/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 80/2018-Customs, dated the 15th December, 2018, published *vide* number G.S.R. 1212(E), dated the 15th December, 2018.